रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 2018/माघ 16, 1939
No. 458] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 2018/MAGHA 16, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2018

संख्या 50 /2015–2020

विषयः आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 09 के तहत वर्गीकृत काली मिर्च की आयात संबंधी नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 531(अ).—समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीति में आंशिक परिवर्तन करते हुए अधिसूचना सं. 42/2015–20 दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 में संशोधन करती है और आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 09 के तहत एक्जिम कोड 090411 और 09041200 के अंतर्गत वर्गीकृत ''काली मिर्च'' के आयात पर लागत, बीमा और माल भाड़ा (सीआईएफ) आधार पर प्रति किलो 500 रुपए के न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की नीतिगत शर्त अधिरोपित करती है, जो निम्नानुसार हैः

एक्जिम कोड	मद का विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
09041120	हल्की काली मिर्च	मुक्त	बशर्ते कि लागत, बीमा और माल भाड़ा का मूल्य प्रति किलो 500 रुपए या इससे अधिक हो	बशर्ते कि लागत, बीमा और माल भाड़ा का मूल्य प्रति किलो 500 रुपए या इससे अधिक हो। तथापि, अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम (एएएस) के तहत आयात को न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त से छूट प्राप्त है, जब आयात केवल विनिर्माता निर्यातकों द्वारा पुनः निर्यात के लिए, ओलियोरेजिन के सार के लिए, किया जाए, और निम्नलिखित शर्त के अधीन होः क. ओलियोरेजिन के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत भारत में आयात हेतु हल्की काली मिर्च के दानों में न्यूनतम 6 प्रतिशत की पीपरीन मात्रा होनी

				चाहिए। ख. सीमा शुल्क विभाग द्वारा नमूने लिए जाएंगे और आईएसओ 5564 पद्धति के अनुसार पीपरीन की मात्रा हेतु मसाला बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण कराया जाएगा। ग. अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के लिए ओलियोरेजिन प्राप्ति का मूल्यांकन मसाला बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोग"ााला में आईएसओ 1108 पद्धति के अनुसार किया जाएगा। घ. विनिर्माता निर्यातक जो ओलियोरेजिन प्रयोजन हेतु एएएस के अंतर्गत काली मिर्च का आयात करते हैं, वे काली मिर्च के आयात का विवरण अर्थात आयातित काली मिर्च की मात्रा, विनिर्मित ओलियोरेजिन की मात्रा, पुनः निर्यातित ओलियोरेजिन की मात्रा, शेष उपलब्ध स्टॉक तथा खर्च की गई सामग्री के उपयोग/निपटान का मासिक आधार पर ब्यौरा मसाला बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के अंतर्गत एक्जिम कोड 09041120 के तहत वर्गीकृत **हल्की काली मिर्च** की आयात नीति अधिसूचना सं0 42/2015–20 दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 में आंशिक संशोधन करके निर्धारित की जाती है।

[फा. सं. 01/53/162/1109/एएम–07/एफ 2/आईएलएस/पीसी–2(ख)]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2018

No. 50/2015-2020

Subject: Amendment in import policy condition of pepper classified under Chapter 09 of ITC (HS), 2017–Schedule–1(Import Policy).

S.O. 531(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby in partial modification of the policy, amends the Notification No.42 /2015-20 dated 6th December, 2017 imposing policy condition of Minimum Import Price (MIP) of Rs 500 on CIF basis per kg on imports of "pepper" classified under EXIM Code 090411 and 0904 1200 under Chapter 09 of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy) as under:

Exim Code	Item Description	Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
0904 11 20	**Light black pepper**	Free	**Provided CIF value is Rs.500/- and above per Kilogram**	Provided CIF value is Rs.500/- and above per Kilogram. However, imports under Advance Authorisation Scheme are exempted from the MIP condition when import is for extraction of oleoresin, for re-export, by the

				manufacturer exporters only, subject to the following condition: a. Light black pepper berries shall have a minimum piperine content of 6% for import into India under AAS for oleoresin. b. The samples shall be drawn by Customs and tested at Spices Board's Quality Evaluation Labs for piperine content as per the ISO 5564 method. c. The yield assessment for oleoresin for AAS shall be done as per the ISO 1108 method at the Quality Evaluation Lab of Spices Board. d. The manufacturer exporters, who import pepper under AAS, for oleoresin purpose shall submit the details of import of pepper viz. quantity of pepper imported, quantity of oleoresin produced, quantity of oleoresin re-exported, balance stock available as well as the details of usage/disposal of spent material on a monthly basis to the Spices Board.

3. **Effect of this Notification**: Import policy of **Light black pepper** classified under EXIM Code 0904 11 20 under Advance Authorisation Scheme is laid down, in partial modification of the Notification No.42 /2015-20 dated 6th December, 2017.

[F. No. 01/53/162/1109/AM-07/F.2/ILS/PC-2 (B)]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.02.07 14:22:02 +05'30'